का ही दखल कब्जा है।

उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 382 दिनांक 05.02.1985 द्वारा जिले के सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अवैध जमाबंदी की सत्यता की जाँच किस प्रकार किया जाना है, उक्त पत्र की कंडिका 0.1 (एक में स्पष्ट रूप से निदेश है कि 31.03..57 तक अगर जमीन्दारी रसीद के आधार पर कर्मचारी द्वारा पहली रसीद काटी गयी है, तो वह सही है।

माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0 75/99 (आर) में पारित आदेश से भी स्पष्ट है कि व्यक्ति विशेष के नाम लम्बी अवधि से कायम जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता। यह रूलींग जे0एस0सी0आर0 2001 पेज 206 में प्रतिवेदित है। इसी प्रकार का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में डब्लू0पी0 (सी0) नं0 1327/2003 में दिया गया है जो जे0सी0आर0 2006 (3) पेज 430 में प्रतिवेदित है।

उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी का दावा संगत कागजातों के आधार पर विपक्षियों के दावे से सबल है। निम्न न्यायालय के आदेश से सहमत होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

फलतः निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, बरकट्ठा श्री कामेश्वर प्रसाद के नाम चल रही जमाबंदी को पूर्ववत् बरकरार रखेंगे। इसकी एक प्रति अंचल अधिकारी, बरकट्ठा को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

7/12

अपर समाहर्त्ता,
हजारीबाग।

7/12

अपर समाहर्त्ता,
हजारीबाग।

ज्ञापांक 3162 /रा० हजारीबाग दिनांक 17/12/07
प्रतिलिपि भूमि अंचल अधिकारी, बरकट्ठा को निम्न न्यायालय विविध वाद सं. 01/06-07 कामेश्वर प्रसाद बनाम मनी पासवान का मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/12

अपर समाहर्त्ता
हजारीबाग

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
19.6.17	अधिवक्ता के निधन के कारण न्यायालय कार्य नहीं हुआ। दिनांक 17.7.17 को रखें। प्र० पदा० विधि
17.7.17	अपीलार्थी - व्यक्तिगत हाजरी। विपक्षी - उपस्थित। दिनांक 18.8.17 को रखें। उप समाहर्ता भूमि सुधार
18.8.17	अपीलार्थी - अनुपस्थित। विपक्षी - उपस्थित। Heard the learned counsel of the respondent. The learned counsel of appellant is absent. Perused the record of the case and report of circle officer. Considering the fact that the appellant is in possession of land but does not have supporting document with respect to settlement or right of the land. The second party claims to have a settlement but is not in possession of the land. The land is GM as per Khatiyan. The C.O. is directed to remove all encroachment and decide as to the legality of settlement and take n.c. accordingly as per rules. [illegible] 18/8/17